



न्यायालय मध्यस्थ रजि. जिला कलक्टर नागौर
मध्यस्थता प्रार्थना पत्र सं. 33/2017

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भगवती प्रसाद प/स भारत संघ अंतर्गत | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए |
|---------------|---|---|
| 26/2/18 | <p>वकुलाय उपस्थित। वकील प्रार्थी ने आवेदन विद्वा करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो शां०मि० हो। उक्त आवेदन पत्र की नकल वकील अप्रार्थीगण श्री दिनेश लटियाल को दी गई, जिस पर श्री दिनेश लटियाल द्वारा नो ओब्जेक्शन अंकित किया गया। वकील प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये निवेदन किया की प्रार्थी की ओर उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है। एवार्ड के विरुद्ध प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पेश की गई है। इसलिए प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार या पुनः याचिका पेश करने की अनुमति के साथ उक्त प्रकरण को जरिये विद्वावल निस्तारित करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी श्री दिनेश लटियाल ने उक्त संबंध में नो ओब्जेक्शन किया है।</p> <p>अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2017 जरिये विद्वावल खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थी को मा० उच्च न्यायालय के निर्देश पर एवं विधि अनुसार पुनः मध्यस्थता प्रार्थना प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रखा जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से का हो।</p> | |




(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
राजस्थान